तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को की गयी। उक्त प्रतिवादी से 11, 18 के लिफाफे डाक विभाग द्वारा वापिस लौट कर आये हैं जो पत्रावली में मौजूद है। जिनमे लेने से इंकार का नोट लगा हुआ है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रतीत होता है कि प्रार्थी जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी होकर कुर्रेजात प्राप्त हो चुके है। न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया गया है। प्रार्थीगण की तलबी विधिवत की गयी है। इसलिये प्रा. पत्र आदेश 9 नियम 13 (आ.की) CPC का पोषणीय नहीं है। अतः प्रा.पत्र आदेश 9 नियम 13 का पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। वास्ते बहस। अवलोकन कुर्रेजात दिनांक 14.05.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
14.05.25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप.। बहस कुर्रेजात सुनी गयी। कोई आपत्ति पेश नहीं की गयी। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 16.05.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
16.05.25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप.। वादपत्र पर बहस उभयपक्ष वकील पर मनन किया। पत्रावली व तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त कुर्रेजात का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष वकील पर मनन करने एवं पत्रावली व प्राप्त कुर्रेजात के अवलोकन के आधार पर वादी वाद दावा तकरार एवं स्थायी निषेधाज्ञा आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली। (हस्ताक्षर)	

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलकार हुक्म में जारी
	किया गया। अंतिम डिग्री जारी होकर पालना हेतु तहसीलदार मांडीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो [signature] उप खण्ड अधिकारी, मांडीकुई (दौसा)	

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्या 35/2024 नया, 298/2021 पुराना
दायर दिनांक 11.03.2024 पुन:, 23.11.2021
निर्णय दिनांक 16.05.2025

उनवान

1. गलखान पुत्र रामनाथ जाति मीना उम्र 30 साल निवासी खेडी तहसील बस्सा जिला दौसा

—वादी

बनाम

1. चेतराम पुत्र रामनाथ मीना
2. उर्मिला पत्नि शिवराम मीना
3. गुड्डी पुत्री शिवराम मीना
4. कैलाश पुत्र हीरालाल
5. गुलबाई पुत्री रामधन
6. चम्पालाल पुत्र रामनाथ
7. दिनेश पुत्र हीरालाल
8. नरसीराम पुत्र रामधन
9. प्रसादी पुत्र भम्बड
10. प्रहलाद पुत्र हारया
11. बद्री पुत्र श्योदान
12. भोला पुत्र हीरालाल
13. मुकेश पुत्र हारया
14. मुनीराम पुत्र हजारी
15. मनोहर लाल पुत्र हारया
16. मुरारी लाल पुत्र हारया
17. राजूलाल पुत्र रामनाथ
18. हजारी पुत्र हीरालाल
19. जगदीश पुत्र रामजीलाल
20. रामोतार पुत्र रामजीलाल
21. तीजो देवी पत्नि रणजीता
22. नरेन्द्र पुत्र हजारी
23. सत्यनारायण पुत्र हजारी
24. अशोक पुत्र बत्तू
25. दीपक पुत्र बत्तू
26. अंकित पुत्र बत्तू
27. उम्मेदी पुत्र हरेली
28. इन्द्राज पुत्र हरेली

Scanned with OKEN Scanner

29. उपपंजीयन अधिकारी, उपपंजीयन कार्यालय बडियाल कलां
30. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील बडियाल कलां तहसील बसवा जिला दौसा ।
31. प्रबन्धक यूको बैंक शाखा बडियाल कलां ।
32. बरदी देवी पत्नि किशोरी लाल जाति मीना निवासी टीडाली का बास खेडी तहसील बांदीकुई जिला दौसा

प्रतिवादीगण

दावा तकारमा व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 16.05.2025

वादी द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण जरिये वकील श्री लीलाराम मीना के दावा तकारमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय से पेश किया कि ग्राम खेडी पटवार हल्का बडियाल कलां तहसील बसवा जिला दौसा में भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 77 पुरानी 64 के खसरा नम्बर 443 रकबा 0.05 है०, खसरा नम्बर 444 रकबा 0.05 है०, खसरा नम्बर 445 रकबा 0.37 है०, खसरा नम्बर 446 रकबा 0. 10 है०, कुल किता 4 कुल रकबा 0.57 है०, वार्षिक लगानी 15 रूपये 12 पैसे, एवम खतौनी संख्या नई 163 पुरानी 154 के खसरो नम्बर 523 रकबा 0.37 है०, कुल किता 1 कुल रकबा 0.37 है० वार्षिक लगानी 15 रूपये 17 पैसे, एवम खतौनी संख्या नई 164 पुरानी 155 के खसरा नम्बर 522 रकबा 0.35 है० कुल किता 1 कुल रकबा 0.35 हैक्टे.वार्षिक लगानी 14 रूपये 35 पैसे, एवम खतौनी संख्या नई 166 पुरानी 153 के खसरा नम्बर 445/835 रकबा 0.05 है०, खसरा नं० 447 रकबा 0.06 है०, खसरा नम्बर 470 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 471 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 472 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 473 रकबा 0. 27 है०, खसरा नम्बर 474 रकबा 0.27 है०, खसरा नम्बर 475 रकबा 0.27 है०, खसरा नम्बर 476 रकबा 0. 25 है०, खसरा नम्बर 477 रकबा 0.25 है०, खसरा नम्बर 478 रकबा 0.31 है०, खसरा नम्बर 479 रकबा 0.35 है०, खसरा नम्बर 480 रकबा 0.39 है०, खसरा नम्बर 481 रकबा 0.02 है०, खसरा नम्बर 482 रकबा 0.22 है०, खसरा नम्बर 483 रकबा 0.48 है०, खसरा नम्बर 484 रकबा 0. 15 है०, खसरा नम्बर 485 रकबा 0.61 है0, खसरा नम्बर 486 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 487 रकबा 0.20 है०, खसरा नम्बर 488 रकबा 0.20 है०, खसरा नम्बर 489 रकबा 0. 61 है०, खसरा नम्बर 490 रकबा 0.50 है०, खसरा नम्बर 491 रकबा 0.51 है०, खसरा नम्बर 528 रकबा 0.09 है०, खसरा नम्बर 529 रकबा 0.11 है०, खसरा नम्बर 530 रकबा 0.17 है०, खसरा नम्बर 531 रकबा 0. 07 है०, खसरा नम्बर 532 रकबा 0.07 है०, खसरा नम्बर 534 रकबा 0.25 है०, खसरा नम्बर 535 रकबा 0.25 है० कुल किता 31 कुल रकबा 7.71 है० वार्षिक लगानी 310 रूपये 47 पैसे स्थित है जिसको आगे चलकर भूमि मुतदाविया के नाम से सम्बोधित किया जावेगा । भूमि मुतदाविया वर्णित पैरा नं० 1 वाद पत्र का अभी तक विधिवत तकासमा नही हुआ है इस कारण पक्षकारान का भूमि मुतदाविया में अनडिवाईडेडशेयर अविवाजित भूमि पर यह निर्धारित नही किया

Scanned with OKEN Scanner

गया है कि कौनसा हिस्सा कौनसी दिशा तथा कौनसा भू–भाग उक्त खसरा नम्बर में वादी के हिस्से में आया तथा कौनसा भू–भाग हिस्सा प्रतिवादी के हिस्से में आया चूँकि यह अभी निर्धारित नहीं हुआ है अभी उक्त भूमि का विधिवत सरस नरस के अनुसार तकासमा नहीं हुआ है ऐसे में सम्पूर्ण खसरा नम्बरान की भूमि में वादी का हिस्सा व एक कब्जा काश्त कानूनन बनता है। भूमि मुतदाविया में वादी का खतौनी संख्या नई 77 में 1/24 वां हिस्सा, खतौनी संख्या नई 163 में 1/12 वां हिस्सा, खतौनी संख्या नई 104 में 19/420 वां हिस्सा, खतौनी संख्या नई 100 में 1/24 वां हिस्सा है । भूमि मुतदाविया को पक्षकारान ने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार बांट रखा है लेकिन भूमि को बोते समय व फसल काटते समय पक्षकारान में कमती ज्यादा को लेकर आपस में विवाद हो जाता है तथा लगान जमा कराते समय विवाद हो जाता है तथा कोई भी पक्ष राज्य सरकार व भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली कृषि सहायता भी बिना एक दूसरे की सहमति के प्राप्त नहीं कर सकता है इसलिये भूमि मुतदाविया का सरस नरस के अनुसार तकासमा किया जाकर कब्जे के अनुसार सरस नरस के हिसाब से वादी को मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से खतौनी संख्या नई 77 में 1/24 वां हिस्सा, खतौनी संख्या नई 103 में 1/12 वां हिस्सा, खतौनी संख्या नई 104 में 19/420 वां हिस्सा, खतौनी संख्या नई 106 में 1/24 वां हिस्सा अनुसार भूमि का तकासमा किया जाकर अलग चक व अलग खाता व अलग लगान कायम किया जाकर अलग अलग पास बुके जारी की जावें । प्रतिवादी संख्या 1 ला० 3 ने वादी के विरूद्ध एक नाजायज गिरोह बना रखा है तथा वे वादी को उसके हिस्से से बेदखल करने की नियत से भूमि का बिना विधिवत तकासमा करवाये ही अब भूमि में खाम व पुख्ता निर्माण करके दीगर लोगो को बेचान करने पर आमादा है तथा ऐलानियां धमकि दे रहे है कि हम वादी को उनकी भूमि से बेदखल करके अपना नाजायज कब्जा करके पुख्ता निर्माण करके दीगर लोगो को बेचकर रहेगे तथा लाठी के बल पर वादी भूमि पर अपना नाजायज जबरिया कब्जा करके रहेगे तथा वादी को उसके हिस्से की भूमि पर काश्त भी नहीं करने नहीं देगे हर सूरत में वादी को भूमि से बेदखल करके रहन बय करके रहेगे । यदि वादी ने रोकने की कोशिश की तो जान से मार देगे, तथा वादी के द्वारा यदि हमारे/प्रतिवादी के विरूद्ध कोई भी पुलिस कार्यवाही या न्यायिक कार्यवाही की तो वादी को गांव से निकाल देगे तथा वादी के उपर व उसके परिवारजन के उपर झूठे संगीन मुकदमें लगाकर जेल में बंद करवा देगे। वादी गरीब असक्त व्यक्ति है जो कि प्रतिवादी संख्या 1 ला० 3 से मुकाबिला करने में असमर्थ है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ला० 3 जबरन वादी को उसकी भूमि से बेदखल कर बेचान करने, पुख्ता निर्माण करनें, की पूरी पूरी कोशिश में लगे हुये है ऐसी सूरत में वादी, प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबद करवाने की अधिकारी है कि प्रतिवादी सं० 1 ला० 3 स्वय या अपने एजेन्टो नौकरो घरवालो या अन्य मददगारान के भूमि मुतदाविया वर्णित पैरा नं० 1 का जब तक मौके व कब्जे के अनुसार विधिवत तकासमा होकर अलग अलग खाते कायम न हो जावे तब तक किसी दीगर सख्स को रहन बय हस्तान्तरित करने से, खाम या पुख्ता निर्माण करने से, वादी

के कब्जे काश्त इस्तेमाल उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा करने से, पेड पोधो को काटने से खोदने से पाबंद रहे। प्रतिवादी संख्या 29, प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 3 के द्वारा भूमि मुतदाविया की बाबत पेश किये जाने वाले किसी भी रहन नामा, बयनामा, दान पत्र, आदि को पंजीकृत करने से एव प्रतिवादी एवं बहैसियत भूमिधारी राजस्व रिकार्ड में किसी भी प्रकार की तब्दीली करने से पाबंद रहे । भूमि मुतदाविया की मौके व राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे । दिनांक 15.11.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 3 अपने साथ अपने करीबन 15–20 मददगारान को लेकर भूमि मुतदाविया पर काफी लोगो लेकर भूमि पर आ गये तथा भूमि को दीगर लोगो को बेचान करने के लिये दिखाने लगे तथा वादी के हक हिस्से कब्जे काश्त की भूमि को जबरन कब्जा करने की नियत से आमादा हो गये वादी ने मना किया तो प्रतिवादी आमादा फिसाद हो गये बडी मुश्किल से से आप पास के लोगो ने बीच बचाव करवाया नही तो जान से मार देते फिर भी वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 3 से कहा कि पहले भूमि का आपसी सहमति के आधार पर तकासमा करवाकर अलग अलग खाते कायम करवालो फिर आप अपने हिस्से की भूमि पर पुख्ता निर्माण करना या किसी को रहन बय कर देना, तथा अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग उपभोग करना तो प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 3 ने कहा कि अब हम वादी की भूमि पर अपना नाजायज कब्जा करके रहेगे व दीगर लोगो को हर सूरत में बेचान करके रहेगे तथा प्रतिवादीगण, वादी से तकासमा करवाने से साफ मना कर दिया व कहा कि हम तो बिना तकासमा करवाये ही वादी के हिस्से की भूमि पर लाठी के जोर पर निर्माण करके रहेगे व दीगर लोगो को बेचान करके रहेगे। तथा वादी को उसके हक हिस्से व अधिकारात की भूमि से बेदखल करके अपना नाजायज कब्जा करके रहेगे तथा काश्त नहीं करने देगे। यदि प्रतिवादीगण अपने नाजायज मकसद की पूर्ति में कामयाब हो गये तो वादी को नुकसान अजीम नाकाबिले तायुन व तखमीना होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर सम्भव नही हो सकेगी व गैर जरूरी किस्म के मुकदमात दरम्यान फरीकन चल पडेगे जो बाय से बरबादी वादी होगी ऐसी सूरत मे सिवाय वाद पत्र के और कोई चारा नजर नही आया इस कारण वाद पत्र पेश करना लाजिम आया बिनाय दावा व विनाय मुखारस्तमत दिनांक 15.11.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 3 द्वारा भूमि को बेचान करने की धमकि देने से, वादी के हिस्से की भूमि पर अपना नाजायज जबरिया कब्जा करने आने से व तकासमा करवाने की इंकारी करने से अन्दर हदूद न्यायालय हाजा पैदा हुयी है दावा अन्दर मियाद पेश है ।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि बाद तहकीकात दावा वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण निम्न इस्तदुआ स्वीकार करते हुये डिकी फरमाया जावे :–

(अ) भूमि मुतदाविया वर्णित पैरा नं० 1 का सरस नरस के अनुसार तकासमा किया जाकर कब्जे व मौके के अनुसार सरस नरस के हिसाब से वादी का खतौनी संख्या नई 77 में 1/24 वां हिस्सा, खतौनी संख्या नई 163 में 1/12 वां हिस्सा, खतौनी संख्या नई 164 में 19/420 वां हिस्सा, खतौनी संख्या नई

Scanned with OKEN Scanner

166 में 1/24 वां हिस्सा का वादी का अलग चक व अलग खाता व अलग लगान कायम किया जाकर अलग अलग पास बुके जारी की जावें ।
(ब) प्रतिवादी नं० 1 ला० 3 व 29 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबंद करवाने की अधिकारी है कि प्रतिवादी स्वय या अपने एजेन्टो नौकरो घरवालो या अन्य मददगारान के भूमि मुतदाविया वर्णित पैरा नंबर 1 खेवट खतौनी संख्या नई 77 पुरानी 64 के खसरा नम्बर 443 रकबा 0.05 हैक्टे. खसरा नम्बर 444 रकबा 0.05 है०, खसरा नम्बर 445 रकबा 0.37 है०, खसरा नम्बर 446 रकबा 0.10 है०, कुल किता 4 कुलरकबा 0.57 है०, वार्षिक लगानी 15 रूपये 12 पैसे, एवम खतौनी संख्या नई 163 पुरानी 154 के खसरा नम्बर 523 रकबा 0.37 है०, कुल किता 1 कुल रकबा 0.37 है० वार्षिक लगानी 15 रूपये 17 पैसे, एवम खतौनी संख्या नई 164 पुरानी 155 के खसरा नम्बर 522 रकबा 0.35 है० कुल किता 1 कुल रकबा 0.35 है० वार्षिक लगानी 14 रूपये 35 पैसे, एवम खतौनी संख्या नई 166 पुरानी 153 के खसरा नम्बर 445/835 रकबा 0. 05 है०, खसरा नं0 447 रकबा 0.06 है०, खसरा नम्बर 470 रकबा 0. 27 है०, खसरा नम्बर 471 रकबा 0.21 है०, खसरा नम्बर 472 रकबा 0. 21 है०, खसरा नम्बर 473 रकबा 0.27 है०, खसरा नम्बर 474 रकबा 0. 27 है०, खसरा नम्बर 475 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 476 रकबा 0. 25 है०, खसरा नम्बर 477 रकबा 0.25 है०, खसरा नम्बर 478 रकबा 0. 31 है०, खसरा नम्बर 479 रकबा 0.35 है०, खसरा नम्बर 480 रकबा 0. 39 है०, खसरा नम्बर 481 रकबा 0.02 है०, खसरा नम्बर 482 रकबा 0. 04 है०, खसरा नम्बर 487 रकबा 0.20 है०, खसरा नम्बर 488 रकबा 0. 20 है०, खसरा नम्बर 489 रकबा 0.61 है०, खसरा नम्बर 490 रकबा 0. 47 पैसे स्थित ग्राम खेडी पटवार हल्का बडियाल कलां तहसील बसवा 22 है०, खसरा नम्बर 483 रकबा 0.48 है०, खसरा नम्बर 484 रकबा 0.15 है०, खसरा नम्बर 485 रकबा 0.61 है०, खसरा नम्बर 486 रकबा 050 है०, खसरा नम्बर 491 रकबा 0.51 है0, खसरा नम्बर 528 रकबा 0.09 है०, खसरा नम्बर 529 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 530 रकबा 0.17 है०, खसरा नम्बर 531 रकबा 0.07 है०, खसरा नम्बर 532 रकबा 0.07 है०, खसरा नम्बर 534 रकबा 0.25 है०, खसरा नम्बर 535 रकबा 0.25 है० कुल किता 31 कुल रकबा 7.71 है0 वार्षिक लगानी 310 रूपये जिला दौसा का जब तक मौके व कब्जे के अनुसार विधिवत तकासमा होकर अलग अलग खाते कायम न हो जावे तब तक किसी दीगर सख्स को रहन बय हस्तान्तरित करने से, खाम या पुख्ता निर्माण करने से, वादी के कब्जे काश्त इस्तेमाल उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा करने से पाबंद रहे प्रतिवादी संख्या 29 प्रतिवादी संख्या 1 ला० 3 के द्वारा पेश किये जाने वाले किसी भी रहन नामा बयनामा आदि को पंजीकृत करने से एव प्रतिवादी सं0 29 राजस्व रिकार्ड मे किसी भी प्रकार की तब्दीली करने से पाबंद रहे । भूमि मुतदाविया की मौके व राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे ।
(स) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावे ।
(द) अन्य दादरसी जो करीने इंसाफ बहक वादी हो और अता फरमायी जावें ।

Scanned with OKEN Scanner

दावा दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये रजिस्टर्ड नोटिस विधिवित की गयी। प्रतिवादीगण संख्या 2, 3, 32 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 14 बावजूद रजिस्टर्ड ए.डी तामील उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 14 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 8, 9, 10 लगायत 13, 15 लगायत 18, 19, 20 लगायत 31 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 की ओर से जबाब दावा पेश किया है कि वाद पत्र का पैरा नं. 01 स्वीकार है। वाद पत्र का पैरा नं. 02 जिस प्रकार वर्णित है स्वीकार नही है। पक्षकारान द्वारा वादग्रस्त भूमि पर पूर्व में ही बहामी बंटवारा कर रखा है तथा मुताबिक बहामी बंटवारा पक्षकारान अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त है तथा उसी अनुसार अपने हिस्से पर फसल बोने व काटने तथा प्राकृतिक उपज प्राप्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे है। वादी अपने हिस्से पर काबिज काश्त है तथा पक्षकारान का मुताबिक राजस्व रिकार्ड, मौका व कब्जा अनुसार विधिक तकास्मा कर अलग-अलग चक व अलग खाता तथा पासबुक जारी की जाने में मिन प्रतिवादीगण सदैव तैयार है। वाद पत्र का पैरा नं. 03 कतई गलत, मनगढन्त होने से स्वीकार नही है। मिन प्रतिवादीगण कतई शान्तिप्रिय लोग है तथा बहामी बंटवारा अनुसार आये अपने हक, अधिकार व हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। मिन प्रतिवादीगण द्वारा वादी या उसके परिवार के साथ कभी भी कोई झगडा फिसाद नही किया ना ही वादी के हिस्से पर कभी कोई कब्जा करने का प्रयास ही किया। वादी, मिन प्रतिवादीगण से सदैव से रंजिश रखता है तथा इसी रंजिश की वजह से कतई, गलत व मनगढन्त दावा पेश किया है। वादग्रस्त भूमि के मिन प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है तथा एक सहखातेदार के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। वाद पत्र का पैरा नं. 04 कतई गलत व मनगढन्त होने से अस्वीकार है। मिन प्रतिवादी दिनांक 15.11.2021 या अन्य किसी दिनांक को वादी के कब्जे व काश्त वाली भूमि पर कभी नहीं गयें। मिन प्रतिवादी सं. 01 के कब्जे व स्वामित्व वाली भूमि जिसका बहामी बंटवारा कर रखा है खाता सं. 166 में से 0.25 हेक्टेयर भूमि को प्रतिफल की राशि प्राप्त कर बरदी पत्नी किशोरीलाल जाति मीना निवासी टीडाली का बास खेडी तहसील बसवा जिला दौसा के हक में उप पंजीयक कार्यालय बडियाल कलां में विक्रय पत्र पंजीकृत करा दिया तथा मौके पर केता बरदी देवी का कब्जा करा दिया है। वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से दावा खारिज होने योग्य है। वाद पत्र का पैरा नं. 05 जिस प्रकार वर्णित है स्वीकार नही है। मिन प्रतिवादी विधिक बंटवारा करवाने हेतु सदैव तैयार है। वाद पत्र का पैरा नं. 06 कानूनी है जवाब मोहताज नही हैं। वाद पत्र का पैरा नं. 0 कानूनी होने से जवाब मोहताज नहीं है। इस्तदुआ का पैरा 'अ' स्वीकार है, बाकी इस्तदुआ का पैरा ब, स, द अस्वीकार है।

विशेष कथन

1. वादपत्र के पैरा सं. 01 में वर्णित भूमि का पक्षकारान में पूर्वजों के समय से ही बहामी बंटवारा कर मुताबिक बहामी बंटवारा काबिज काश्त है तथा उसी

Scanned with OKEN Scanner

कब्जे काश्त अनुसार मिन प्रतिवादी सं. 01 चेतराम द्वारा खाता सं. 166 में स्थित भूमि में से रकबा 0.25 हैक्टेयर भूमि का बेचान बरदी देवी पत्नि किशोरीलाल जाति मीना निवासी टीडाली का बास खेडी तह. बसवा जिला दौसा से प्रतिफल की राशि प्राप्त कर बरदी देवी के हक में 0.25 हैक्टेयर भूमि को उपपंजीयक कार्यालय बडियालकलां में दिनांक 01.11.2021 को पुस्तक सं. 01, जिल्द सं. 16 में पृष्ठ सं. 143, कम संख्या 202103261100335 पर पंजीबद्ध कर अतिरिक्त पुस्तक सं. 01, जिल्द सं. 30 के पृष्ठ सं. 01 से 10 पर तस्दीक करा दिया तथा मौके पर रकबा 0.25 हैक्टेयर भूमि पर जो प्रतिवादी सं. 01 के हक के खसरा सं. 480 पर मौके पर कब्जा करा दिया है। जहां बरदी देवी काबिज काश्त है। उक्त भूमि का मिन प्रतिवादी को बेचान करने का पूर्ण अधिकार था। मिन प्रतिवादी द्वारा अपने परिवारजन की सहमति से बरदी देवी को भूमि का बेचान कर जहां कब्जा मौके पर संभलाया है उस भूमि से वादी का किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। वादी ने मिन प्रतिवादी से रंजिश रखने की वजह से मिन प्रतिवादी को हैरान परेशान करने के लिये कतई गलत आधारों पर दावा प्रस्तुत किया है। वाद पत्र के पैरा सं. 01 में वर्णित भूमि जरिये पंजीकृत विकय पत्र बरदी देवी पत्नि किशोरीलाल को रकबा 0.25 हैक्टेयर भूमि का बेचान करने से तथा उक्त बेचान की वादी को पूर्ण जानकारी होने से वादी द्वारा बरदी देवी जो उक्त वाद की आवश्यक पक्षकार थी, बिना पक्षकार बनाये दावा खारिज होने योग्य है। पक्षकारान के मध्य बहामी रूप से बंटवारा होकर अपने अपने हिस्से पर पक्षकारान काबिज है तथा वादी भी अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। वादी को वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से दावा खारिज होने योग्य है अतः जवाब वाद पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि वादी का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थिया बरदी देवी पत्नि किशोरीलाल द्वारा जर्ये वकील श्री अमरसिंह गुर्जर के प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा.दी. इस आशय से पेश किया कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण बाबत भूमि काश्त ग्राम खेडी तहसील बसवा जिला दौसा में खाता सं. 166 नया पुराना 153 की बाबत प्रस्तुत कर रखा है जिसमें आज की तारीख पेशी नियत है। भूमि काश्त खाता सं. 166 में खसरा सं. 445/835 रकबा 0.05है., खसरा सं. 447 रकबा 0.27 है., खसरा सं. 471 रकबा 0.21 है., खसरा सं. 473 रकबा 0.27 है., खसरा सं. 475 रकबा 0.06 है., खसरा सं. 470 रकबा 0.21 रकबा 0.27 रकबा 0.27 रकबा 0.25 है., खसरा सं. 477 रकबा 0.25 रकबा 0.31 है., खसरा सं. 479 रकबा 0.39 है., खसरा सं. 481 रकबा 0.22 है., खसरा सं. 483 रकबा 0.15 है., खसरा सं. 485 रकबा 0.04 है., खसरा सं. 487 रकबा 0.20 है., खसरा सं. 489 रकबा 0.50 है., खसरा सं. 491 है., खसरा सं. 472 है., खसरा सं. 474 है., खसरा सं. 476 है., खसरा सं. 478 रकबा 0.35 है., खसरा सं. 480 रकबा 0.02 रकबा 0.48 रकबा 0.61 रकबा 0.20 रकबा 0.61 रकबा 0.51 रकबा 0.09 है., खसरा सं. 529 रकबा 0.11 है., खसरा सं. 482 है., खसरा सं. 484 है., खसरा सं. 486 है., खसरा सं. 488 है., खसरा सं. 490 है., खसरा सं. 528 है., खसरा सं.530 रकबा 0.17 है., खसरा सं. 531 रकबा 0.07 है., खसरा सं. 532 रकबा 0.07 है., खसरा सं. 534 रकबा 0.25 है.,

Scanned with OKEN Scanner

खसरा सं. 535 रकबा 0.25 है कुल कित्ता 31 कुल रकबा 7.71 हैक्टेयर में से हिस्सा 25/771 रकबा 0.25 हैक्टेयर भूमि को उसके खातेदारचेतराम पुत्र रामनाथ जाति मीना निवासी खेडी ने मिन आवेदक से प्रतिफल की राशि प्राप्त कर उपपंजीयक कार्यालय बडियालकलां में मिन आवेदक/प्रार्थीया के हक में विक्रय पत्र दिनांक 01.11.2021 को पंजीकृत करा दिया जो पुस्तक सं. 01, जिल्द सं. 16 में पृष्ठ सं. 143, कम सं. 202103261100335 पर पंजीबद्ध कर अतिरिक्त पुस्तक सं. 01, जिल्द सं. 30 के पृष्ठ सं. 01 से 10 पर तस्दीक करा दिया तथा मिन आवेदक को मौके पर जहां विक्रेता चेतराम का कब्जा काश्त था वो खेत खसरा सं. 480 बांदीकुई से बैजूपाडा रोड पर सडक सीमा छोडकर स्थित या उस पर मौके पर कब्जा करा दिया तथा उक्त भूमि पर प्रार्थीया काबिज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। उपरोक्त उनवानी प्रकरण तकास्मे का है जिसमें वादग्रस्त भूमि जो दावे में वर्णित है उसमें रकबा 0.25 हैक्टे. भूमि मिन प्रार्थीया ने जरिये पंजीकृत कय करने से वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार है तथा बिना प्रार्थीया को पक्षकार बनाये बिना वाद का सही एवं न्यायपूर्ण निस्तारण संभव नहीं है। मिन प्रार्थीया को उक्त वाद में पक्षकार बतौर प्रतिवादिया बनाया जाकर उक्त प्रकरण में सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में प्रार्थीया को बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र का जबाब वादी द्वारा पेश किया कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नंबर 1, 2, 3, 4 अस्वीकार है।अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाये।

उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 जा.दी. पर वकील उभयपक्ष बहस सुनी । वकील उभयपक्ष बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र, पत्रावली व संलग्न विकय पत्र में प्रार्थिया का हित निहित होना प्रकट होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया जाकर जबाब पेश करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 32 बरदी देवी द्वारा जर्ये वकील श्री अमरसिंह गुर्जर के जवाब दावा मय काउण्टर वाद पेश किया कि वाद पत्र का पैरा नं. 01 स्वीकार है।वाद पत्र का पैरा नं. 02 जिस प्रकार वर्णित है स्वीकार नही है। पक्षकारान द्वारा वादग्रस्त भूमि पर पूर्व में ही बहामी बंटवारा कर रखा है तथा मुताबिक बहामी बंटवारा पक्षकारान अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त है तथा उसी अनुसार अपने हिस्से पर फसल बोने व काटने तथा प्राकृतिक उपज प्राप्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे है। प्रतिवादिया अपने हिस्से पर काबिज काश्त है तथा पक्षकारान का मुताबिक राजस्व रिकार्ड, मौका व कब्जा अनुसार विधिक तकास्मा कर अलग-अलग चक व अलग खाता तथा पासबुक जारी की जाने में मिन प्रतिवादिया सदैव तैयार है। वाद पत्र का पैरा नं. 03 कतई गलत, मनगढन्त होने से स्वीकार नहीं है। मिन प्रतिवादिया व प्रतिवादी सं. 01 लगायत 03 कतई शान्तिप्रिय लोग है तथा बहामी बंटवारा अनुसार आये अपने हक, अधिकार व हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। मिन प्रतिवादिया एवं प्रतिवादी सं.

01 लगायत 03 द्वारा वादी या उसके परिवार के साथ कभी भी कोई झगडा फिसाद नही किया ना ही वादी के हिस्से पर कभी कोई कब्जा करने का प्रयास ही किया। वादी, मिन प्रतिवादिया से सदैव से रंजिश रखता है तथा इसी रंजिश की वजह से कतई, गलत व मनगढन्त वादपत्र पेश किया है। वाद पत्र का पैरा नं. 04 कतई गलत व मनगढन्त होने से अस्वीकार है। प्रतिवादी सं. 01 लगायत 03 द्वारा दिनांक 15.11.2021 को वादी के कब्जे व काश्त वाली भूमि पर कभी नहीं गयें। मिन प्रतिवादी एवं प्रतिवादी सं. 01 लगायत 03 के कब्जे व स्वामित्व वाली भूमि जिसका बहामी बंटवारा कर रखा है, खाता सं. 166 में से 0.25 हेक्टैयर भूमि को प्रतिफल की राशि प्राप्त कर प्रतिवादी सं. 01 लगायत 03 ने मिन प्रतिवादी बस्दी पत्नी किशोरीलाल जाति मीना निवासी टीडाली का बास खेडी तहसील बसवा जिला दौसा के हक में उप पंजीयक कार्यालय बडियाल कलां में विक्रय पत्र पंजीकृत करा दिया तथा मौके पर मिन प्रतिवादिया बरदी देवी का कब्जा करा दिया है। वादी को वादपत्र पेश करने का कोई कारण उत्पन्न नही होने से वादपत्र खारिज होने योग्य है। वादपत्र के पैरा नं. 05 कतई गलत है स्वीकार नहीं है। वादपत्र के पैरा नं. 06 कानूनी है। वादपत्र के पैरा नं. 07 कानूनी है। इस्तदुआ का पैरा सं. अ, ब, स, द जिस वर्णित है स्वीकार नहीं है। मिन प्रतिवादिया एवं प्रतिवादी सं. 01 लगायत 03 मुताबिक बहामी बंटवारा सरस–नरस भूमि का तकास्मा कराकर अलग खाता करने में पूर्णतया सहमत है।

काउण्टर वाद

वादपत्र के पैरा सं. 01 में वर्णित भूमि का पक्षकारान में पूर्वजों के समय से ही बहामी बंटवारा कर मुताबिक बहामी बंटवारा काबिज काश्त है तथा उसी कब्जे काश्त अनुसार प्रतिवादी सं. 01 चेतराम द्वारा खाता सं. 166 में स्थित भूमि में से रकबा 0.25 हैक्टेयर भूमि का बेचान मिन प्रतिवादिया बरदी देवी पत्नि किशोरीलाल जाति मीना निवासी टीडाली का बास खेडी तह. बसवा जिला दौसा से प्रतिफल की राशि प्राप्त कर बरदी देवी के हक में 0.25 हैक्टेयर भूमि को उपपंजीयक कार्यालय बडियालकलां में दिनांक 01.11.2021 को पुस्तक सं. 01, जिल्द सं. 16 में पृष्ठ सं. 143, कम सं. 202103261100335 पर पंजीबद्ध कर अतिरिक्त पुस्तक सं. 01, जिल्द सं. 30 के पृष्ठ सं. 01 से 10 पर तस्दीक करा दिया तथा मौके पर रकबा 0.25 हैक्टेयर भूमि पर जो प्रतिवादी सं. 01 के बहामी बंटवारा अनुसार अपने कब्जे स्वामित्व के खेत खसरा नं. 480 जो बांदीकुई से बैजूपाडा सड़क पर स्थित है। जिस पर रकबा 0.25 हैक्टे. भूमि पर मिन प्रतिवादिया का मौके पर कब्जा करा दिया है। जहां मिन प्रतिवादिया काबिज काश्त है। उक्त भूमि का प्रतिवादी सं. 01 को बेचान करने का पूर्ण अधिकार था। प्रतिवादी सं. 01 द्वारा अपने परिवारजन की सहमति से मिन प्रतिवादिया को भूमि का बेचान कर जहां प्रतिवादी सं. 01 का कब्जा था मौके पर उस भूमि का मिन प्रतिवादिया को कब्जा संभलाया है उस भूमि से वादी का किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। वादी ने प्रतिवादी सं. 01 लगायत 03 व मिन प्रतिवादिया से रंजिश रखने की वजह से मिन प्रतिवादिया को हैरान परेशान करने के लिये कतई गलत आधारों पर दावा प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी सं. 01

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा अपने कब्जे व स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 480 जो कि बांदीकुई से बैजूपाडा सड़क पर स्थित है। जिसके दिशा पूर्व की ओर वादी का खेत है तथा सभी पक्षकारान द्वारा बहामी बंटवारा अनुसार काबिज काश्त है। उक्त भूमि से वादी का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। उक्त भूमि पर मिन प्रतिवादिया द्वारा बाजरे की फसल की बुआई की थी तथा हाल ही में उक्त भूमि पर मिन प्रतिवादिया द्वारा सरसों की फसल की बुआई की है, किन्तु वादी जो कि प्रतिवादिया का पडौसी खातेदार है जो प्रतिवादिया की भूमि को हड़पने की कोशिश करता रहता है तथा मिन प्रतिवादिया की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने के उद्देश्य से प्रतिवादिया की खाम डोल को तोड़ दिया तथा प्रतिवादिया के परिवारजन के साथ झगडा–फिसाद किया, जिस हेतु प्रतिवादिया के पुत्र द्वारा पुलिस थाना बांदीकुई में जरिये कोर्ट परिवाद पेश किया है। जो पुलिस थाना बांदीकुई में अनुसंधान में विचाराधीन है। खसरा नं. 480 की भूमि सड़क पर स्थित होने से वादी उक्त भूमि को हड़पना चाहता है, जबकि उक्त भूमि का पक्षकारान ने बहामी रूप से मौके पर बंटवारा कर रखा है तथा वादी का भी सड़क पर बराबर–बराबर हिस्सा है तथा मिन प्रतिवादिया द्वारा प्रतिवादी सं. 01 चेतराम के कब्जे व स्वामित्व वाली भूमि को प्रतिफल की राशि अदा कर विक्रय पत्र अपने हक में पंजीकृत कराकर मौके पर कब्जा प्राप्त किया है तथा मुताबिक कब्जा सरस–नरस के अनुसार भूमि का पक्षकारान ने बंटवारा किया जाकर अलग–अलग पासबुक व लगान का बंटवारा किया जाकर अलग खाता व अलग चक कायम किया जावें। इस हेतु प्रतिवादिया द्वारा काउण्टर वाद पेश है। वादी द्वारा अदालत हाजा के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत करने से एवं वादी द्वारा प्रतिवादिया के कब्जे व स्वामित्व वाले खेत में व्यवधान करने पर आमादा होने से तथा वादी एवं अन्य प्रतिवादी से प्रतिवादिया द्वारा दिनांक 20.10.2022 को भूमि का विधिक बंटवारा करने हेतु कहने से तथा वादी द्वारा बंटवारा से इन्कार करने से प्रतिवादिया को वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है, इसलिये काउण्टर वाद पेश है। वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत करने से तथा भूमि मुतदाविया एवं पक्षकारान अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में होने से अदालत हाजा को काउण्टर वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है तथा काउण्टर वाद अन्दर मियाद पेश है। अतः जवाब दावा मय काउण्टर वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद खारिज फरमाया जाकर प्रतिवादिया का काउण्टर वाद स्वीकार फरमाया जावें।

वकील उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं संलग्न दस्तावेजातो के अवलोकन के आधार पर एवं माननीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के आदेशों की पालना में वादीगण वाद संशोधित प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.02.2025 को किया जाकर तहसीलदार बांदीकुई को कुरैजात प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार बांदीकुई के पत्र क्रमांक 1872 दिनांक 08.05.2025 द्वारा कुरैजात प्रस्ताव प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त कुरैजात प्रस्ताव का वकील उभयपक्ष द्वारा अवलोकन किया गया। तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त कुरैजात पर वकील उभयपक्ष बहस सुनी गयी। वादी वकील ने बहस में वाद में वर्णित तथ्यों तथा प्रतिवादीगण वकील द्वारा जवाब वाद व

Scanned with OKEN Scanner

काउण्टर वाद में अंकित तथ्यों का दोहराव किया। हमने वकील उभयपक्ष बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त कुरैजात का अवलोकन किया। कुरैजात अवलोकन से प्रकट है कि प्राप्त कुरैजात तहसीलदार (भू.अ.) बांदीकुई द्वारा पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बनने राजस्व रिकॉर्ड के बनाया जाना प्रकट होने से प्राप्त कुरैजात स्वीकार किये जाकर वादी वाद को आंशिक रूप से अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी वाद दावा तकारमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा आंशिक स्वीकार किया जाकर प्राप्त कुरैजात अनुसार आंशिक रूप से निम्न अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है–

क्रम संख्या	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा
1	उर्मिला पत्नि शिवराम गुड्डी पुत्री शिवराम हिस्सा 1/24 राहिन यूको बैंक शाखा बडियाल कलां कैलाश, दिनेश भोलाराम हजारी पिसरान हीरालाल हि. 1/8 स.भा. चेतराम, पृथीलाल, राजूलाल पि. रामनाथ हि. 1/8 स.भा. राहिन यूको बैंक शाखा बडियाल कलां चम्पालाल, मलखान पि. रामनाथ हि. 1/12 स. भाग किस्तुरी पत्नि हारया , प्रहलाद, मुकेश, मनोहर, मुरारीलाल पि. हारया हि. 1/8 स. भाग, गुलबाई पुत्री रामधन हि. 1/32, नरसीराम पुत्र रामधन हि. 3/32 राहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा मानपुर, धप्पी पत्नी हजारी नरेन्द्र मुनीराम सत्यनारायण पि. हजारी हि. 1/24 मीना सा. रूपवास बत्तू पुत्र मथुरालाल हि. 1/24, हरेती पुत्र मथुरालाल हि. 1/24 सा. रूपबास प्रसादी पुत्र भमड हि. 1/8 बदरी पुत्र श्योदान हि. 1/8 राहिन यूकों बैंक शाखा बडियाल कलां	443 444 445 446	0.05 0.05 0.37 0.10
		किता 4	कुल रकबा 0.57
2	मलखान पुत्र रामनाथ हि. पूर्ण जाति मीना राहिन हि. यूको बैंक शाखा बडियाल कलां सा. देह खातेदार	480 मि. 491 मि.	0.07 0.2950
		किता 02	कुल रकबा 0.3650
3	चेतराम पुत्र रामनाथ हि. पूर्ण जाति मीना राहिन हि. यूकों बैंक शाखा बडियाल कलां	491 मि.	0.1150
		किता 1	कुल रकबा 0.1150
	बरदी देवी पत्नि किशोरीलाल हि. पूर्ण जाति मीना सा. देह खातेदार	480 मि.	0.25
		किता 01	रकबा 0.25

Scanned with OKEN Scanner

4	उर्मिला पत्नि शिवराम, गुड्डी पुत्री शिवराम हि. 1/10, चम्पालाल, पृथीलाल, राजूलाल पि. रामनाथ हि. 3/10 कैलाश, दिनेश, भोलाराम, हजारी पि. हीरालाल हि. 3/10 राहिन यूको बैंक बडियाल कलां प्रसादी पुत्र भभड हि. 3/10 जाति मीना सा. देह खातेदार	523	0.37
		किता 01	रकबा 0.37
5	उर्मिला पत्नि शिवराम, गुड्डी पुत्री शिवराम हि. 19/382 स. भाग चम्पालाल, पृथ्वीलाल, राजूलाल पि. रामधन हि. 57/382 कैलाश, दिनेश, भोलाराम, हजारी पि. हीरालाल हि. 105/382 राहिन यूको बैंक शाखा बडियाल कलां प्रसादी पुत्र भभड हि. 105/382 तीजा देवी पत्नि रामकिशन हि. 48/191 जाति मीना सा.देह खातेदार	522	0.35
		किता 01	कुल रकबा 0.35
6	उर्मिला पत्नि शिवराम, गुड्डी पुत्री शिवराम हि. 1/22 कैलाश दिनेश, भोलाराम, हजारी पि. हीरालाल हि. 3/22 राहिन यूको बैंक शाखा बडियाल कलां किस्तूरी पत्नि हारया, प्रहलाद,मुकेश, मनोहरलाल, मुरारीलाल पि. हारया हि. 3/22 गुलबाई पुत्री रामधन हि. 3/88, नरसीराम पुत्र रामधन हि. 9/88 राहिन आरएमजीबी मानपुर, पृथीलाल, चम्पालाल पि. रामनाथ हि. 2/22 राहिन यूको बैंक शाखा बडियाल कलां राजूलाल पि. रामनाथ 1/22 जल्लीबाई पत्नि रामजीलाल जगदीश प्रसाद रामोतार पि. रामजीलाल हि. 3/22 प्रसादी पुत्र भभड हि. 3/22 बद्री पुत्र श्योदान हि. 3/22 राहिन यूको बैंक शाखा बडियाल कलां जाति मीना सा. देह खातेदार	445/836	0.05
		447	0.06
		470	0.27
		471	0.21
		472	0.21
		473	0.27
		474	0.27
		475	0.27
		476	0.25
		477	0.25
		478	0.31
		479	0.35
		480 पि.	0.07
		481	0.02
		482	0.22
		483	0.48
		484	0.15
		485	0.61
		486	0.04
		487	0.20
		488	0.20
		489	0.61
		490	0.50
		491	0.09
		528	0.09
		529	0.11
		530	0.17
		531	0.07
		532	0.07

Scanned with OKEN Scanner

	534 535	0.25 0.25
	किता 31	6.97
शामलाती खाता संख्या 166 अनुसार	491 मि.	0.01
	किता 01	0.01

नोटः–खाता संख्या 77 खसरा नंबर 443 लगायत 446 किता 4 कुल रकबा हैक्टयेर पर माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश बांदीकुई जिला दौसा का स्थगन अंकित है जिसका कुरैजात में अंकन है। अतः उक्त खसरा नंबरान पर माननीय ालय सिविल न्यायाधीश बांदीकुई जिला दौसा का स्थगन होने के कारण तकास्मा किया गया है। उक्त खसरा नंबरान अथवा अन्य किसी खसरान पर यदि किसी अन्य ालय का स्थगन आदेश हो तो उस न्यायालय निर्णय अनुसार पालना करें।

कुर्रेजात, निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। अंतिम डिकी जारी हो। तहसीलदार ाकुई तदनानुसार राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करें। साथ प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे वादी के कब्जे ख्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत न करें। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को ीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा र्णय आज दिनांक 16.05.2025 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

16/05/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner